Denial of benefits under provident fund, bonds and minimum wanes acts to lakhs of mine workers of Rajasthan

श्री शिवचरण सिंह :(राजस्थान) उप-सभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान इस स्पेशल मेंशन के माध्यम से एक गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । राजस्थान में 20 लाख माइनिंग लेबर हैं। माइनिंग, बीड़ी, ब्रिक लेबर जो है, यह पी० एफ०, बोनस एक्ट और मिनिमम वेजेज एक्ट से कवर्ड होती है। मुझे खुद के साथ कहना पड़ता है कि पहले तो जो मिनिमम वेजेज एक्ट और पी० एफ० एक्ट थे इनके अमेंडमेंट नहीं हुए । महोदया 1990 में सरकार ने पी० एक्ट अमेंड किया और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इसकी रिकवरी या इसकी जो डिपोजिट्स हैं या रेट आफ इंटरेस्ट है, इसको रिवायज करेंगे, लेकिन हमारे यहां राजस्थान में पी.एफ.कमीश्नर जो है उसके आफिस में उसके जो असिस्टेंट कमीश्नर और दूसरे कर्मचारी हैं, उनके लेवल पर इतना भारी भ्रष्टाचार है कि पी० एफ० का न तो वे सर्वे करते हैं, न रजिस्ट्रेशन करते हैं और यह जो स्केटर्ड लेबर हैं, इनके आर्गनाइज न होने से और यूनियनें न होने की वजह से इनका पी० एफ० अगर कटता भी है तो इनको कोई पासबुक भी नहीं मिलती है, इनकी पोस्टिंग नहीं होती, इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता इस प्रकार से भारी इनका शोषण है । माननीय पी० फ० मिनिस्टर, जो इंचार्ज लेबर मिनिस्टर हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां जो मंत्री जी बैठे हों वह कृपया उनको यह बताएं कि प्रोविडेंट फंड, बोनस एक्ट और मिनिमम वेजेज, इन तीनों का जो वायलेशन हो रहा है, उसको ठीक करें । इसके साथ ही मैं उनसे प्रश्न के रूप में यह पूछना चाहता हूं कि स्पेशल पी० एफ० ट्रिबुनल का, जो 6 अगस्त को पी०एफ० रिकवरी के लिए कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसका क्या हुआ ? यह पी० ए फ० पासबुक के बारे में जो उन्होंने आर्डर दिया, उसका क्या हुआ ? कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो 1989 में एक रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके बारे में कंप्लाएन्स क्यों नहीं की ?

महोदया, यह जो गवर्नमेंट है, जो अपने आपको वेलफेयर गवर्नमेंट कहती है, गरीब और मजदूर की हिमायती बनती है, उनके राज में आम मजदूर का, चाहे वह माईनिंग लेबर हो या बीड़ी मजदूर हो या दूसरे सेक्टर का मजदूर हो, उनका हर तरह शोषण हो रहा है और भ्रष्टाचार की वजह से उनको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है ।

मैं आपको निवेदन करते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे लेबर मिनिस्ट्री को हिदायत करें कि वह इस बात को एग्जामिन करें और जो इसमें कमियां और खामियां हैं, उनको दूर करके गरीबों के जो राइट्स हैं, उनको दिलवाने की कोशिश करें । धन्यवाद ।

Strike by Sringar Bar Association and Non-appearance of Government's counsels in respect of Government cases

SHRI JAGMOHAN (Nominated): I would like to draw the attention of the Ministry of Law and Justice and the Ministry of Home Affairs to the strike of the Srinagar Bar Association that has been continued since August 1. The apparent reason given is that a judge of the High Court has been transferred. But the ponit is that even those advocates who want to attend, they are not being allowed to attend. They need protection for attending the court. The Government should provide them adequate protection for attenting the court. The High Court should also start hearing the cases and those people who are not able to produce their advocates, the Government can make arrangements for their advocates, as is the usual practice.

The second point which I would like to make is that even with regard to the cases which are listed, the counsels who have to appear on behalf of the Union, are not appearing even in Jammu sometimes because of the attitude of indifference and so on. There were many important cases in which some pro-PaJria-tani elements are bringing out writ petitions. In those writ petitions they challenge the accession to India and make all types of mentions, which are really nothing but reproduction of the Pakistan propaganda literature. They are produced in the court and then published in the